Rajasthan Forestry and Biodiversity Project-2

greening lands... greening lives...

Rajasthan Vaniki Evam Jaiv Vividhata Sanrakshan Society

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (फेज-2)

JICA

वन विभाग, राजस्थान

JAPAN
Official Development Assistance

परियोजना

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–आपरेशन ऐजेन्सी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरूस्थलीय जिलों, पांच गैर मरूस्थलीय जिलों तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 650 गांव (मरूस्थलीय जिलों में 340 गांव, गैर–मरूस्थलीय जिलों में 250 गांव व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में व उनकी सीमा से बाहर दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 60 गांव) को चिन्हित किया गया है। 8 वर्षीय यह परियोजना 2011–12 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 1152.53 करोड़ है।

परियोजना कार्यो का क्रियान्वयन ''राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी'' द्वारा किया जा रहा है तथा जिसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट,1958 के तहत दिनांक 8 मार्च, 2011 को हो चुका है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य

''साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय की आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर अन्ततः राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।''

परियोजना क्षेत्र

राजस्थान राज्य के दस मरूस्थलीय जिले, पांच गैर मरूस्थलीय जिले तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र

मरूस्थलीय जिले

- बाड़मेर
- बीकानेर
- चूरू
- जैसलमेर
- जालोर
- झुंझुनूं
- जोधपुर
- नागौर
- पाली
- सीकर

गैर मरूस्थलीय जिले

- बांसवाड़ा
- डूंगरपुर
- सिरोही
- भीलवाड़ा
- जयपुर

वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र/अभयारण्य

- बस्सी
- फुलवारी की नाल
- जयसमंद
- कैलादेवी
- कुम्भलगढ़
- रावोली टॉडगढ़
- सीतामाता

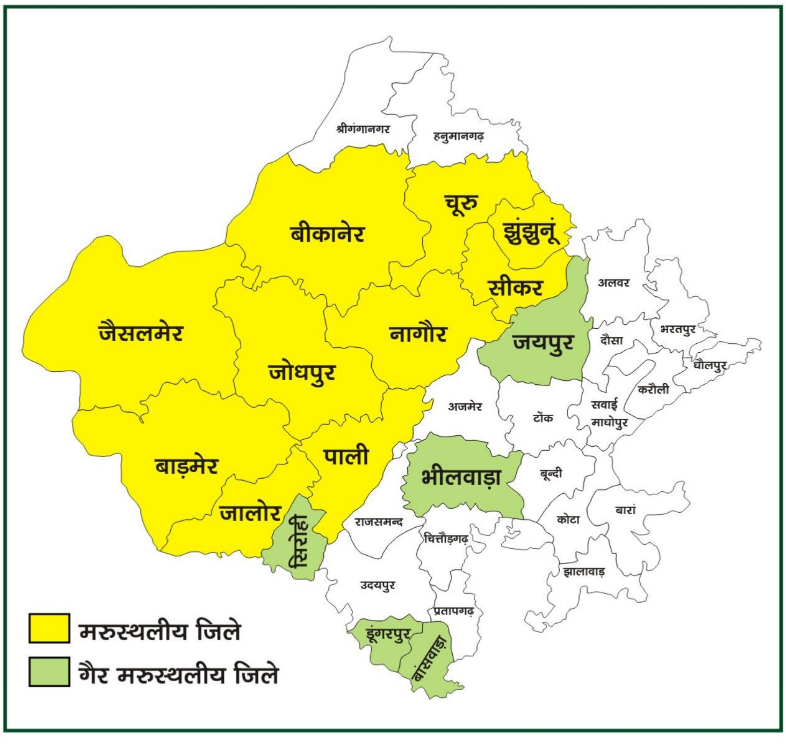

परियोजना विस्तार

इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को ईकाई के रूप में लिया गया है। सभी परियोजना गतिविधियां साझा वन प्रबंधन के तहत क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत किसी भी गांव में गतिविधि शुरू करने से पहले नियोजित स्वयंसेवी संस्था द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं स्थानीय निवासियों की साझा भागीदारी से सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लान) तैयार किया जाता है। परियोजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ग्राम्य वन सुरक्षा प्रबन्धन समिति द्वारा मण्डल प्रबन्धन ईकाई/क्षेत्रीय प्रबन्धन ईकाई के निर्देशन में किया जा रहा है।

परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों का विवरण निम्न है –

1. वनीकरण

लक्षित क्षेत्र : दस मरूस्थलीय एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिलों में चिन्हित 590 गांव

गतिविधियां : कुल क्षेत्र 83650 हैक्टयर

- **मरूस्थलीय क्षेत्र 56,650 हैक्टयर**
  - ✔ नहर किनारे वृक्षारोपण 5,000 रो. किमी. (1,650 हैक्टर)
  - ✔ टिब्बा स्थिरीकरण एवं चारागाह विकास (25,000 हैक्टर)
  - ✔ सिल्वीपेस्टोरल वृक्षारोपण (25,000 हैक्टर)
  - ✔ ब्लॉक प्लान्टेशन (5,000 हैक्टर)
- **गैर मरूस्थलीय क्षेत्र 27,000 हैक्टयर**
  - ✔ परिभ्राषित वनों का पुर्नरारोपण– I (RDF-I) (6,000 हैक्टर)
  - ✔ परिभ्राषित वनों का पुर्नरारोपण– II (RDF-II) (6,000 हैक्टर)
  - ✔ प्राकृतिक पुर्नउत्पादन में सहायता (Assisted Natural Regenration) (2,500 हैक्टर)
  - ✔ उत्पादकता संवर्द्धन कार्य (Productivity Enhancement Operation) (2500 हैक्टर)
  - ✔ ईंधन वृक्षारोपण (10000 हैक्टर)

2. कृषि वानिकी

लक्षित क्षेत्र : दस मरूस्थलीय एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिलों में चिन्हित 590 गांव

गतिविधियां : मरूस्थलीय एवं गैर मरूस्थलीय क्षेत्रों में

- ✔ स्वयं सहायता समूहों द्वारा पौध तैयारी (130 स्वयं सहायता समूह)
- ✔ स्वयं सहायता समूहों की क्षमता विकास (130 स्वयं सहायता समूह)
- ✔ ग्रामवासियों को पौध विक्रय

3. जल संरक्षण संरचनाएं

लक्षित क्षेत्र : दस मरूस्थलीय एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिलों में चिन्हित 590 गांव

गतिविधियां :

- **गैर मरूस्थलीय क्षेत्र**
  - ✔ ऐनिकट टाईप–I (कुल 600 ऐनिकट)
  - ✔ ऐनिकट टाईप–II (कुल 400 ऐनिकट)
  - ✔ चैकडेम (2 लाख घन मीटर)
  - ✔ कन्टूर बन्ड (5 लाख रनिंग मीटर)
  - ✔ सिल्ट डिटेन्शन स्ट्रक्चर (कुल 300)
  - ✔ गेबियन स्ट्रक्चर (कुल 500)
- **मरूस्थलीय एवं गैर मरूस्थलीय क्षेत्र**
  - ✔ परकोलेशन टैंक (कुल 700)
  - ✔ परम्परागत जल संरक्षण/संचयन सरंचनाओं का पुनःरूद्वार (कुल 200 संरचनाएं)

Anicut Type-II, at DMU Pali

4. जैव विविधता संरक्षण

लक्षित क्षेत्र : 7 संरक्षित वन क्षेत्रों की दो किमी. की परिधि में चिन्हित 60 गांव

गतिविधियां :

- ✔ ड्रेनेज लाईन ट्रीटमैंट कार्य (12,000 हैक्टर)
- ✔ जल संरचनाओं (Water Point) का निर्माण (कुल 100)
- ✔ जैव विविधता संरक्षण क्लोजर (5,000 हैक्टर)
- ✔ स्थानीय जर्म प्लाज्म का संरक्षण
  - – राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर में गोडावण (Great Indian Bustard) संरक्षण
  - – कुम्भलगढ़ एवं सीतामाता अभ्यारण्य में चौसिंगा (Four Horned Antelope) संरक्षण
- ✔ जोधपुर में माचिया जैविक उद्यान का निर्माण
- ✔ जैविक उद्यानों का विकास
  - – सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर
  - – नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर

Machia Biological Park, Jodhpur

5. सामुदायिक संगठन

लक्षित क्षेत्र : सभी 650 गांव

गतिविधियां :

- ✔ वन सुरक्षा समिति / पा.वि.स. का गठन एवं सुदृढ़ीकरण
- ✔ सूक्ष्म नियोजन (Micro plan) तैयार करना
- ✔ प्रत्येक ग्रा.व.सु.प.स. / पा.वि.स में एक सभा स्थल (Meeting center) निर्माण करना
- ✔ प्रवेश बिन्दु गतिविधियां
- ✔ संचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण गतिविधियां

6. गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन

लक्षित क्षेत्र : सभी 650 गांव

गतिविधियां :

- ✔ स्वयं सहायता समूहों का चयन एवं गठन (कुल 1,950 स्वयं सहायता समूह)
- ✔ स्वयं सहायता समूहों की क्षमता विकास (कुल 1,950 स्वयं सहायता समूह)
- ✔ आय सृजन गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु ऋण (कुल 1,950 स्वयं सहायता समूह)
- ✔ स्वयं सहायता समूह सदस्यों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन (कुल 390 प्रशिक्षण)
- ✔ पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्रों का विकास (7 क्षेत्र)
- ✔ विपणन एवं मूल्य संवर्धन हेतु सहयोग

7. संस्थानिक क्षमता का विकास

लक्षित क्षेत्र : सभी 650 गांव

गतिविधियां :

- ✔ वन विभाग कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण
- ✔ ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति सदस्यों का प्रशिक्षण
- ✔ विभागीय कर्मचारियों तथा ग्रा.व.सु.प्र.स. सदस्यों हेतु एक्सपोजर विजिट
- ✔ अधिकारियों हेतु विदेशों में शैक्षणिक भ्रमण
- ✔ अधिकारियों हेतु विदेशों में प्रशिक्षण

परियोजना क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक संरचना

1. उच्चाधिकार समिति (High Power Committee)

राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति (HPC) का गठन किया गया है, जो इस परियोजना हेतु निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। उच्चाधिकार समिति परियोजना के कार्यकलाप के प्रभावी क्रियान्वयन व परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य विभागों एवं संस्थाओं से समन्वय स्थापित करने के लिए भी कार्य करती है।

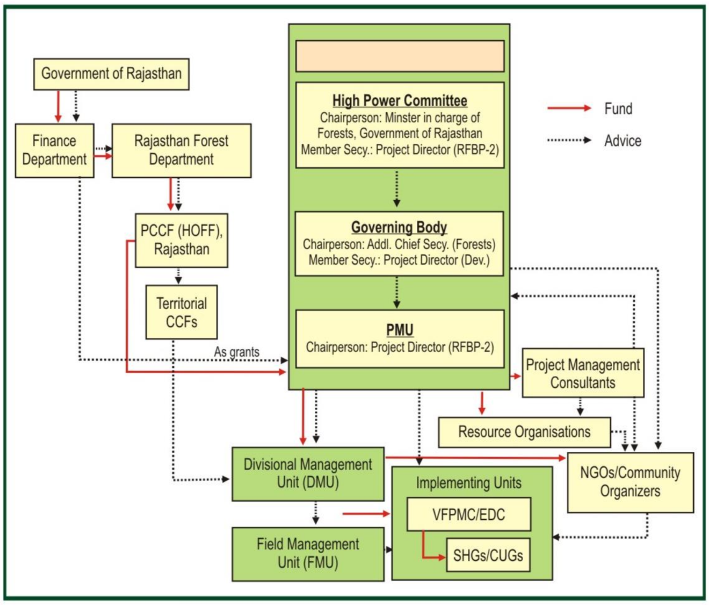

2. शासकीय निकाय (Governing Body)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में शासकीय निकाय का गठन किया गया है। शासकीय निकाय परियोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सामयिक समीक्षा करने तथा परियोजना प्रबंधन इकाई को समय–समय पर आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए जिम्मेदार है।

3. परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit)

परियोजना कार्यो के क्रियान्वयन हेतु गठित ''राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी'' को राज्य सरकार ने दिनांक 11 अप्रेल, 2011 को आदेश जारी कर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना फेज–2 हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (PMU) का दर्जा प्रदान किया है। परियोजना प्रबंधन इकाई सम्पूर्ण परियोजना गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने, वित्तीय प्रबंधन, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रहण तथा JICA को पुर्नभरण दावों एवं विभिन्न प्रगति प्रतिवेदनों के प्रेषण के लिए उत्तरदायी है।

4. मण्डल प्रबंधन इकाई (Divisional Management Unit)

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र 25 मण्डल प्रबंधन इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक मण्डल प्रबंधन इकाई स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विकास कार्य करवाने, प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियां संचालित करने एवं जन जागृति हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किया गया है जिनके द्वारा उपरोक्त कार्यो में मण्डल प्रबन्ध इकाई / क्षेत्रीय प्रबन्ध इकाई / वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सहयोग किया जा रहा है।

परियोजना प्रयोजन हेतु प्रत्येक वन मण्डल कार्यालय को मण्डल प्रबंधन इकाई के रूप में लिया गया है। मण्डल प्रबंध इकाई परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में चयनित क्षेत्र प्रबंधन इकाई की सहायता करता है तथा परियोजना निदेशालय को प्रगति से अवगत कराता हैं। गतिविधियों के लिए आवश्यक धन राशि परियोजना निदेशालय से मण्डल प्रबंधन इकाई के माध्यम से ग्राम्य वन सुरक्षा प्रबंध समिति / पारिस्थतिकी विकास समिति / स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध कराई जाती है।

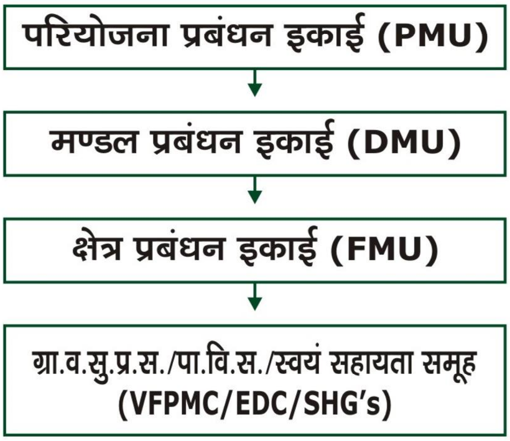

5. क्षेत्र प्रबंधन इकाई (Field Management Unit)

इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को इकाई के रूप में लिया गया है। क्षेत्र प्रबंधन इकाई का गठन रैंज ऑफिस के आधीन किया गया है। अपने क्षेत्र में परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ग्राम्य वन सुरक्षा प्रबंध समिति / पारिस्थतिकी विकास समिति / स्वयं सहायता समूह के तकनीकी मार्ग निर्देशन, स्वयं सेवी संस्था से समन्वय आदि के लिए क्षेत्र प्रबंधन इकाई जिम्मेदार है।

6. परियोजना प्रबंधन सलाहकार (PMC)

परियोजना प्रबन्ध इकाई के स्तर पर एक परियोजना प्रबन्ध सलाहकार समिति (PMC) का भी नियोजन JICA द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। जिसमें अलग–अलग विषयों के अर्न्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की सेवाऐं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है।

परियोजना प्रबंधन सलाहकार हेतु चयनित संस्था निम्न कम्पनियों का कॉन्सॉर्शियम हैः

- निपोन कोई इण्डिया प्रा. लि., नई दिल्ली, भारत
- निपोन कोई लि., टोकियो, जापान
- अर्थ केयर कन्सलटेन्ट (प्रा.) लि., नई दिल्ली, भारत

उक्त कॉन्सॉर्शियम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरणः

अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता

1. टीम लीडर / वृक्षारोपण विशेषज्ञ – 22 महीने
2. मरूस्थली वृक्षारोपण विशेषज्ञ – 17 महीने

स्थानीय परामर्शदाता

1. जैव विविधता संरक्षण विशेषज्ञ – 21 महीने
2. सामूदायिक विकास एवं क्षमता निर्माण विशेषज्ञ34 महीने
3. प्रबोधन एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ –25 महीने
4. लघु उद्यम एवं आय सृजन गतिविधियां विशेषज्ञ – 33 महीने

7. रिर्सोस आर्गनाईजेशन का नियोजन

इस परियोजना में विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहायता हेतु विभिन्न विषय विशेषज्ञों एवं अन्य स्टॉफ की सेवाऐं रिर्सोस आर्गनाईजेशन (Resource Organisation) के माध्यम से अनुबन्ध पर ली गई है।

रिर्सोस आर्गनाईजेशन के लिए लुईस बरजर ग्रुप का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया गया था तथा JICA दिशा निर्देश अनुसार गुणवत्ता आधारित चयन प्रक्रिया अपनायी गई थी।

लुईस बरजर ग्रुप ने निम्न विषयों के लिए एक विषय विशेषज्ञ तथा आवश्यक तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराये हैंः

1. वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण
2. आजीविका संवर्धन
3. साझा वन प्रबंधन
4. प्रबोधन एवं मूल्यांकन
5. भू–सूचना विज्ञान और आईटी समर्थित सेवाएं
6. क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान
7. संचार, प्रसार एवं प्रलेखन
8. परियोजना प्रशासन

Plantation work at Gopalpura VFPMC, Dhani: Rebari Ugariywas

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (फेज-2)

(राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी द्वारा क्रियान्वित)

अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर 302004 फोन :0141–2709101

ई–मेल : pdrfbp2@gmail.com | **वेबसाईट :** www.rfbp2.rajasthan.gov.in